**जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 09.09.2022**

आज दिनांक 09.09.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

## दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री राजीव कुमार यादव** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत** मु0अं0सं0 139/2022 धारा 376 भादवि के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता जमालुद्दीन पुत्र इकबाल अहमद निवासी मोहल्ला इलाहीबाग, आगा मस्जिद के पीछे थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना धर्मसिंहवा श्री अनिल कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 09.09.2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** प्रभारी निरीक्षक थाना धर्मसिंहवा श्री अनिल कुमार, का0 अजय यादव, का0 पवन यादव।

## 600 ग्रांम अवैध गांजे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री राजीव कुमार यादव के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना बखिरा पुलिस द्वारा **600 ग्राम अवैध गांजा** के साथ अभियुक्त जावेद पुत्र अब्दुल रहीम निवासी लेडुआ महुआ थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 272 / 2022 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–**

जावेद पुत्र अब्दुल रहीम निवासी लेडुआ महुआ थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर।

**बरामदगी –**

600 ग्राम अवैध गांजा ।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश सिंह मय हमराह।

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार**

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 1483 द्वारा मारपीट में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल –** पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत बयारा से इवेन्ट संख्या 13777 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 03 लोगों ( पूनम पत्नी शम्भू गुप्ता, कमलावती पत्नी हृदयराम गुप्ता, शम्भू गुप्ता पुत्र मुन्नीलाल गुप्ता निवासीगण बयारा थाना को0 खलीलाबाद ) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 09 मिनट में पहुँचकर मारपीट में घायल लोगों को जरिए एम्बुलेंस अस्पताल पहुँचाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।
**पीआरवी स्टाफ –**मु0आ0 सुदामा प्रसाद, का0 मुख्तार अहमद, हो0चा0 संजय चौधरी ।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 63 वाहनो से 55000 रु0 सम्मन वसूल किया गया**

आज दिनांक 09.09.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 63 वाहनों से 55000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया ।